फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

उनवान

प्राथीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अयुब पुत्र बसाया 2. फैजु पुत्र बसाया 3.सलीम पुत्र मारूफ जाति मुसलमान निवासी पाबुसरिया कंटल का पार तहसील रामसर जिला बाडमेर।		1. अमेदा खान पुत्र नसीर खान 2. अमीन पुत्र नसीर खान 3. एलियास पुत्र ताजु जाति मुसलमान निवासीगण कंटल का पार तहसील रामसर। 4. ओम प्रकाश सोनी पुत्र मोहन लाल सोनी जाति सोनी निवासी 113 पी.डब्ल्यु.डी. कॉलोनी श्री राम भवन जोधपुर जिला जोधपुर। 5. गफूर पुत्र मारूफ 6. चिनेशर पुत्र ताजु 7. जिमाली पत्नी अकलू 8. जामीन पुत्र बसाया 9.धाई पत्नी मुबीन 10. नवाब पुत्र खमीशा 11.मजीज पुत्र बसाया 12. मुबीन पुत्र अकलू 13.मुरीद पुत्र खमीशा 14.मलूकी पत्नी नसीर खान फौत के कायम मु.प्रतिवादी सं. 1 व 2 15.मुहीब पुत्र खमीशा 16.वली पुत्र बसाया 17.विलायत पत्नी मारूफ फौत के कायम मु.प्रतिवादी सं. 18.व 5 18. सकूर पुत्र मारूफ 19.साईदाद पुत्र ताजु 20.सिदीक पुत्र मिसरी खान 21.हलीम पुत्र ताजु 22.हामीद पुत्र खमीशा जाति मुसलमान निवासी कंटल का पार तहसील रामसर। 23. मैनेजर एस.बी.आई बैंक रामसर। 24.तहसीलदार रामसर।

सहायक कलक्टर रामसर

राजस्व आवेदन संख्या 24/2026 अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
02.02.2026	प्रार्थीगण के वकील श्री इसाक खान समेजा द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 02.02.2026 को पेश किया। बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये। स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है, यदि विप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया गया तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न व विवाद उत्पन्न होनें की संभावना हैं। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति संभव हैं। अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्षकारान को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि कि तहसील रामसर के राजस्व ग्राम मौजा पाबुसरिया पटवार मण्डल कंटल का पार भू.अ.नि.हल्का गागरिया के खेत खसरा संख्या 27 रकबा 22.0230 हेक्टैयर, कुल खसरा नंबर 01 रकबा 22.0230 हेक्टैयर, भूमि में विविदित आराजी प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर मौके एंव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने, नया निर्माण नहीं करने, बेचान नही करने तथा प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त में दखलंदाजी नहीं करने के आशय का अंतरिम स्थगन आदेश आगामी पेशी तारीख तक जारी किया जाता है। पत्रावली आइन्दा वास्ते जवाब दिनांक 04.03.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर रामसर सहायक कलक्टर (SDO) रामसर	
04/3/26	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी [illegible] विप्रार्थीगण के नोटिस [illegible] पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण तलबी एवं स्थगन आदेश की अवधि अग्रिम आदेश पत्रावली मांगी। उपरांत 27/3/26 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:24:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

27/4/26

[illegible] आज पेश हुई।
[illegible] पश्चात
[illegible] अधिकारी महोदय तीसरे [illegible] में
[illegible] आदेश होने से [illegible]
आदेश दिनांक 08.4.26 को पेश है।

08/4/26

पत्रावली आज पेश हुई पार्थी वकील अनु। विपक्षी वकील द्वारा विपक्षी सं. 7 की ओर से जवाब मय वकालतनामा पेश किया जिस पर एडवोकेट शमीम मिरासदा। प्रार्थी व विपक्षीगण के नोटिस मय रजिस्टर्ड डाक पोस्ट के साथ पेश करें पत्रावली बाहर विपक्षीगण की तलबी विपक्षी [illegible] का इतजार होकर आदेश दिनांक 17/4/26 को पेश हो।

17/4/26

पत्रावली आज पेश हुई पार्थीगण, प्रार्थी वकील अनुपस्थित। उक्त पत्रावली में मुलवार एविडेंस हो जाने से उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई औचित्य नहीं। लिहाजा पत्रावली फैसल, हुमा होकर नंबर सेक्शन नंबर डाला जाविल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:24:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner